

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तोत्तर समल पखवाडा कौम्य 2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठाधीन अधिकारी:- कल्पित शिवशान आर.प.परा

क्रमांक :- दुरुस्ती / 2025 / 768

आदेश

दिनांक :- 30/6/25

पार्थी के खाता दुरुस्ती पार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा पार्थी साहबराज पुत्र जुगलाल निवासी पटवा के शपथ पत्र व साम प्रमाण की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान शू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही गौजा पटवा के खाता सं 62/59 में सुभाष पुत्र जुग्गा के नाम 1/18 हिस्सा गैर खातेदार तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि सुभाष पुत्र जुग्गा के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम सुभाष पुत्र जुग्गा ही लागू होगा।

क्र. सं.	ग्राम / चक / पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	पटवा बरानी	62/59	सुभाष पुत्र जुग्गा	साहबराज पुत्र जुगलाल

Kalpit
पीठाधीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :- 30/6/25

क्रमांक:- सम/2025/769-70

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रकन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. साहबराज पुत्र जुगलाल को सूचनार्थ।

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
